अधिसूचना सं0 25/2014-सीमाशुल्क नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014

सा.का.नि. (अ) -- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 157 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परियोजना आयात विनियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम परियोजना आयात (संशोधन) विनियम, 2014 है ।
   (2) यह 11 जुलाई, 2014 को प्रवृत्त होंगे ।

2. परियोजना आयात विनियम, 1986 की सारणी में क्रम संख्या 3च और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम सं	संयंत्र या परियोजना का नाम	प्रायोजित करने वाला प्राधिकारी
"3च	शहरी लोक परिवहन के लिए मेट्रो रेल या मोनो रेल परियोजनाएं	संबंधित राज्य सरकार"

[फा.सं. 334/ 15 /2014-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 230/1986-सीमाशुल्क तारीख 3 अप्रैल, 1986 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि 580(अ), तारीख 13 अप्रैल, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या 18/2012 सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i)

में सा.का.नि 191(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 में प्रकाशित की गई थी द्वारा उसका अंतिम बार संशोधन किया गया ।